न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 125/13/टीआई

1. भागीरथ मल पुत्र श्री दानाराम उम्र 49 वर्ष जाति जाट निवासी लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1. सांवरमल } पुत्रगण श्री ईशरा राम
2. सुरेश कुमार }
3. बोदू राम }
4. कमला देवी } पुत्रियां श्री ईशरा राम
5. बिदामी देवी }
6. कोयली देवी धर्मपत्नी स्व. ईशराराम
7. श्रवण कुमार पुत्रश्री दानाराम
8. प्रकाश चन्द पुत्रश्री दानाराम
9. हरदेवाराम पुत्रश्री भूराराम
10. रिछपाल पुत्रश्री चेताराम
11. प्रभूदयाल पुत्रश्री चेताराम
12. धूड़ाराम पुत्र श्री चेताराम
13. मनोज कुमार पुत्र श्री गणेश राम
14. सुभाष चन्द पुत्र श्री गणेश राम
15. झमरी देवी धर्मपत्नी स्व. श्री गणेश राम
16. मंगलचन्द पुत्रश्री भोमाराम
17. भागचन्द पुत्र श्री भोमाराम
18. उदाराम पुत्रश्री मग्लया
19. रामेश्वर पुत्रश्री मंगल्या
20. धुड़ाराम पुत्रश्री मंगल्या
21. भगवान सहाय पुत्रश्री जमनाराम
22. मोहन लाल पुत्रश्री जमनाराम
23. बोदू राम पुत्रश्री जमनाराम
24. मोहरी देवी धर्मपत्नी स्व. जमना राम
    समस्त जाति जाट निवासीगण लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
25. पटवारी पटवार हल्का, बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
26. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
27. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण/अनावेदकगण

उ अधिकारी, दांतारामगढ

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1- श्री शिवपालसिंह वकील प्रार्थी की ओर से
2. श्री नंदलाल धायल वकील अप्रार्थी सं. 18 व 24 की ओर से

निर्णय दिनांक– 16.11.2015

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नं. 65 रकबा 0.15 है0 व 66 रकबा 0.03 है0 किता 2 कुल रकबा 0.18 है0 ग्राम लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है जिसके खातेदार ईशरा एवं राधादेवी फौत हो चुके है इनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। आवेदन पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमियों पर आवेदक एवं अनावेदकगण अपने अपने हक व हिस्से पर अंदाज से काश्त करते आ रहे है। तथा खसरा नं. 66 किस्म गैर मुमकिन चाह में जिसमें विद्युत सम्बन्ध पुराना खाता सं. 9–14–181 व वर्तमान खाता सं. 1506–0009 लगा हुआ है जिससे आवेदक सिंचाइ करता आ रहा है। उपरोक्त भूमियों व कूप खसरा नं. 66 गैर मुमकिन चाह की खातेदारी संयुक्त रूप से चली आ रही है तथा उक्त कुए एवं उसमें लगे उक्त विद्युत सम्बन्ध से सिंचाई संयुक्त रूप से होती रही है परन्तु उपरोक्त भूमियों एवं कुए की खातेदारी संयुक्त होने के कारण एवं वर्तमान में भूमियों, कुआ एवं संयुक्त विद्युत कनेक्शन वर्तमान में कीमती होने के कारण अनावेदकगण सं. 1 ता 24 के मन में बेईमानी आ गई है तथा वे लोग उपरोक्त भूमियों, कुआ एवं विद्युत कनेक्शन का बिना बंटवारा करवाये ही बेचान करने पर उतारू है। वादी, अनावेदक सं. 1 ता 24 को बाई मिट्स एण्ड विधिक बंटवारा कराने हेतु निवेदन करता रहा है परन्तु दिनांक 28.5.2013 को वादी द्वारा विधिक बंटवारा कराने हेतु जोर देकर कहने पर बंटवारा कराने से स्पष्ट इंकार हो गये है तथा वादी को कहा कि हम तो बिना बंटवारा कराये ही उपरोक्त भूमियां, कुआ एवं विद्युत कनेक्शन को बेचान भूमाफिया गिरोह के लोगों को कर देंगे। जो चाहे जिस भू भाग पर कब्जा जमा लेंगे तथा इसी रोज अनावेदक सं. 1 ता 24 कुछ भूमाफिया गिरोह के लोगों को वादग्रस्त भूमियों पर लेकर आये तथा मौका दिखाकर वादग्रस्त भूमियों, कुआ व इसमें लगे विद्युत कनेक्शन का बेचान का सौदा तय करने लगे। आवेदन ने जब इसका विरोध किया तो वे लोग आवेदक को एलानियां धमकियां दे गये कि तुम भी कुछ ले देकर वादगस्त भूमियों का खाता हमारे नाम करवा देवो। अनावेदकगण अपने कुउद्देश्य में सफल हो जायेगें तो आवेदक के वैद्य खातेदारी हक व अधिकारों पर कुठाराघात होकर अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में कानून में कतई संभव नहीं होगी इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत है। तद्हेतु यह आवेदन नियोजित करना आवश्यक हुआ है। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी का सुदृढ है एवं सुविध का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में होने से विवादग्रस्त संपदा को अनावेदकगण द्वारा किसी भी प्रकार से उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करने से अपूर्तनीय क्षति भी स्वयं आवेदक को ही होती है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि आवेदन की मद सं. 2 में वर्णित विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 65 रकबा 0.15 है. व 66 रकबा 0.03 है. वाके ग्राम लिखमाकाबास

खण्ड अधिकारी, दातारामगढ

तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि की नींव सींव तोड़ फोडत्र करने, बलात् बेदखल करने, सिंचाई में बाधा उत्पन्न करने, बेचान, हस्तांतरण करने, हस्तांतरण प्रलेख पंजीबद्ध करवाने, राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति में परिवर्तन करने, करवाने आदि किसी भी रूप में दखलंदाजी करने से मय नौकर, एजेंट आदि बाज रहे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 17, 25 ता 27 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 18 ता 24 की ओर से वकील श्री नंदलाल धायल उपस्थित हुए व जवाब आवेदन स्थगन बिन्दुवार पेश कर विशेष कथन में निवेदन किया कि वादीधीन आराजी संयुक्त राजस्व रिकार्ड की भूमि है तथा उतरदातागण वादाधीन आराजी के सह स्वामी है इसलिए उतरदातागण को अपने अपने हक हिस्से की भूमियों को चाहे जिस प्रकार से स्वतंत्र रूप से उपयोग तथा उपभोग में लेने का पूर्ण अधिकार हासिल है। उतरदातागण को उनके हक हिस्से की आराजी को रहन एवं बेचान करने अथवा उपयोग तथा उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। संयुक्त खाते की आराजी में समस्त अंशधारी संपूर्ण भूमि पर काबिज होते है इसलिए सह खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। आवेदक संपूर्ण भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनन रूप से अधिकारी नहीं है क्योंकि उतरदातागण वादाधीन आराजी के सह स्वामी है इसलिए उतरदातागण को अपने अपने हक हिस्से की भूमियों को चाहे जिस प्रकार से स्वतंत्र रूप से उपयोग तथा उपभोग में लेने का पूर्ण अधिकार हासिल है। आवेदक केवल अपने हिस्से तक ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है अन्य सह खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय द्वारा सह स्वामी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के निस्तारण के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया है:–

1. आर.आर.डी. पेज 762 – **Section 212- Disputed land is joint property and petitioner is owner of the disputed land upto the extent of her share- she can not be deprived to sale of enjoy the disputed land- All the co-shares are deemed is possession in the joint porperty, Hence Temporary injuction can not be issued against one co-share.**
2. **RRD 2004 Page 119- Section 212- Injucction can not be issued against a co- share.**
3. **DNJ 2015 (Rev.) Page 18-** माननीय राजस्व मंडल न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि खातेदार– कृषक स्वयं की खातेदारी भूमि बाबत (स्वयं के हिस्से तक) ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है, न कि संपूर्ण भूमि के लिये।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अं. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय हर्जे खर्चे पर खारिज फरमाया जावें।

3. राजस्व ग्राम लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित कृषि भूमि हाल ख.नं. 65, 66 उतरदातागण की एकमात्र एकांकी राजस्व रिकार्ड खातेदारी शुदा एवं कब्जे काश्त की भूमियां रही है, आवेदन खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

4. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान आवेदन स्थगन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात संयुक्त खातेदारी की भूमियों है तथा आवेदक एवं अनावेदकगण अपने अपने हक व हिस्से पर अंदाज से काश्त करते आ रहे है तथा खसरा नं. 66 में लगे विद्युत कनेक्शन से सिंचाई करता आ रहा है। संयुक्त खातेदारी की भूमियों को बिना बंटवारा करवाये ही बेचान करने पर उतारू है। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा बिना बंटवारा करवाये विवादित भूमियों को बेचान होने से अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को होगी इसलिए अप्रार्थीगण को तादौराने दावा पाबन्द फरमाया जावें। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण सं 18 से 24 ने जवाब आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजियात में अप्रार्थीगण सह खातेदार की हैसियत से काबिज काश्तकार हैअप्रार्थीगण बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा के लिए इंकार किया गया। तथा आवेदक कानूनन रूप से आवेदक अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि संयुक्त राजस्व रिकार्ड की भूमियों में एक खातेदार किसी अन्य सह खातेदार को प्रतिबंधित करवाकर उसको उसके हक हिस्से की भूमियों के स्वतंत्र उपयोग उपभोग से वंचित नहीं कर सकता है। प्रार्थी का विवादित आराजी रकबा 0.18 है. में मात्र 1/30 हि. प्राप्त है। सह खातेदार कानूनन अपने कब्जे काश्त की भूमियों को अपनी सुविधा के अनुसार बेचान, हस्तांतरण एवं रहन आदि रखने का अधिकारी है। न ही प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा न ही आवेदक को किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति होगी बल्कि अप्रार्थीगण को प्रतिबंधित किये जाने से अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेंगे तथा अपने हक अधिकार एवं राजस्व रिकार्ड की भूमियों के स्वतंत्र उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगें इसलिए अपूरणीय क्षति आवेदक न होकर अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण हो होगी इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में वकील अप्रार्थीगण द्वारा आरआरडी 2008 पेजत 762, आरआरडी 2004 पेज 119, डीएनजे 2015(रेवन्यू) पेज 18 की नजीरें पेश की गई।

5. हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2069–72 के ख.नं. 65, 66 कुल रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 24 के संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। ख.नं. 66 रकबा 0.03 है0 में बने चाह से मात्र 0.15 है0 भूमि की काश्त प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 24 किस प्रकार से करते है उल्लेख नहीं किया गया है। भाई बंटवारे में रकबा 0.15 है. में प्रार्थी का हि. 1/30 है इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को बेवजह हैरान व परेशान करने हेतु यह दावा व टीआई पेश की गई है। संलग्न विद्युत बिल के अवलोकन से यह जाहिर है कि विद्युत कनेक्शन में प्रार्थी का नाम नहीं है। वकील अप्रार्थी सं. 18 ता 24 द्वारा प्रस्तुत नजीरें प्रस्तुत प्रकरण में चश्पा होती है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 24 सह खातेदार है तथा अपने अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 24 के पक्ष में है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं करने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति नहीं होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित आराजियात ख.नं. 65, 66 किता 2 कुल

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा सारहीन होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मिसल फैसल शुमार होकर दावा के संलग्न हो।

6. यह निर्णय आज दिनांक 16.11.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़